



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262279
CG-DL-E-04042025-262279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/ चैत्र 14, 1947

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/ CHAITRA 14, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

सं. 23/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 218(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में;

क्रम संख्या 515ग के समक्ष, कॉलम (6) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर, प्रविष्टि "-" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/47/2025-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 785((अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार

अधिसूचना संख्या 16/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 7 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2025

No. 23/2025-Customs

G.S.R. 218(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 515C, in column (6), for the entry “9”, the entry “-” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/47/2025-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 16/2025-Customs, dated the 7th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 164(E), dated the 7th March, 2025.